Roles and Responsibilities of Office of the Textile Commissioner

1. Introduction:

The Office of the Textile Commissioner was established in 1943 for ensuring demand and supply of textile materials primarily to arrange and oversee the supply of cloth to defense forces & Civilian population. Later on in 1944, Cotton Textiles Fund Ordinance was to be managed which was created to ensure supervision of export of cotton cloth and yarns, development of technical education and research relating to cotton textile industry. After independence, through Cotton Textiles (Control) Order, 1948, TxC office had been assigned the role of monitoring demand/supply of Cotton/yarns/cloths and capacity for manufacturing thereof. Thus, existing office of the Development Commissioner (Handloom), Textile Committee and all Export Promotion Councils were initially various wings of the TxC office. Later on the Textiles (Production by Powerlooms) Control Order, 1956, (2) Art Silk Textiles (Production and Distribution) Control Order, 1962 and (3) The Textiles (Production by Knitting, Embroidery, Lace making and Printing Machines) Control Order, 1963 were introduced through which the Textile Commissioner was undertaking various regulatory activities. Till March 1985, the office of the Textile Commissioner was falling under administrative control of the Ministry of Commerce.

In synchronization with the Textile Policy of 1985, above stated control orders were repealed in 1986 and a new order viz. the Textile Control Order, 1986 was notified. Besides, the Cotton Control Order, 1986 which was also notified to curb artificial scarcity of cotton created by hoarding and black marketing. All above control orders were issued under the power delegated under Section '3' of the Essential Commodity Act, 1955. The Office of the Textile Commissioner was also empowered under the IDRA, 1951 Act for monitoring the capacity and issuance of license for installation of new capacity of textiles manufacturing.

2. Initiatives for Regulatory Role to Facilitation / Developmental Role:

The one-man committee, keeping in mind, the recommendations of the high power committee under the Chairmanship of Shri K.K. Shah and the Estimates Committee (1982-83) of Parliament drafted a new mandate to the effect that the Textile Commissioner should take up developmental activities in place of regulatory functions. In follow up of the said recommendations and with the aim for capacity building of the decentralized powerloom sector, the office of the Textile Commissioner has opened Powerloom Service Centre in 1982 at Surat followed by few more service centers in major powerloom clusters. With the success stories created by these service centers on pilot basis and as action plan envisaged in the National Textile Policy of 1985, many new powerloom service centres were opened in remaining powerloom clusters. Through these centers, socio-economic backward powerloom workers located in decentralized powerloom sector are being facilitated in terms of skill development, technical consultancy and tuning of their machines for producing new textiles products, disseminating the policies and scheme of the central and state governments among the textile industry located in the cluster and providing handholding support to avail the benefits of the same.

After, introduction of liberalization and deregulation of the Indian economy in 1991, the regulatory work of registration of capacity and issuance of licence thereof was phased out from TxC office. In view of it, a series of steps were taken to liberalise the textile

industry and trade. The Textile Control Order, 1986 was repealed and the Textiles (Development and Regulation) Order, 1993 was issued.

There had been qualitative change in the trade and industrial environment in the country since 1991. In the changed context, the Ministry of Textiles decided to have a second look at the office of the Textile Commissioner, so as to enable it to meet the challenges of the future arising out of deregulation and decontrol. The Ministry of Textiles had, therefore, assigned a study to be undertaken by Shri K. N. Ardhnareeswaran, Ex-Secretary (Textiles) on restructuring of the office of the Textile Commissioner in the year 1995. In the new mandate, the Textile Commissioner office was expected to play a more active role in cotton development, export promotion and harmonized growth and development of the Indian Textile industry in particular the decentralized Powerloom sector. Accordingly, the Textile Commissioner office has become the Friend, Philosopher and Guide of the Indian Textile industry to ensure development of the entire value chain of the textile industry in particular, the decentralized powerloom sector. The office has also established Economic Research and Market Intelligence unit (ERMIU) to provide support to the government for preparation of plan papers and schemes thereof for development of the industry in future.

3. Present Role of TxC Office:

A. Roles related to National Priorities:

Our Hon'ble PM sir has insisted, Make in India, Zero Defect and Zero Effect and facilitating activities related to sustainable manufacturing with circular economy, Research and Development, Innovations in processes as well as import substitute. To create proper environments in this regard as well as disseminations of the initiatives of the Government of India in regard to various schemes of the Governments launched for hormonised growth and development of the textile industry and providing hand holding supports, this office has roles as under;

a. Outreach to textile clusters from fibre to fabric: Cluster Coordination Committee have been formed in each textile clusters of the country, which is having representatives of all segments of local textile industry, representatives of District Industries Centre of State Government, Banks and academic institutions related to textile and apparels. TxC Office works through the Textile Clusters comprising of industry segments which are primarily categorized as decentralised sectors such as Ginning & Pressing, Powerloom, knitting, Independent processing, Embroidery and garmenting sectors. Being small in size and their capacity to respond to various initiatives of the Government of India, this office is providing much needed interface to factor the sectoral requirements in the facilitation programmes/schemes/ modifications etc. Through field formations, the office continuously interacts with the stake holders available in the clusters for growth and development of the Textile industry as a whole. Actually main function of TxC office is as facilitator to the SMEs located in the textiles clusters as may be seen from the below mentioned table;

Sr	Name of Cluster	Nos. of Units in cluster									
		G&P	Spinning	Weaving Preparatory	Weaving/ Powerloom	Knitting	Processing	Garments/ made-ups	Embroidery	Technical Textiles	Total
			ANNEXURE – I ENCLOSED								

From enclosed Annexure-I, it may be seen that this office is out-reaching to 3,19,869 textiles units located in major textiles clusters besides about 30% more textiles units which are falling outside the major clusters as indicated above. At present, the sanctioned strength of this office is 631, thus on an average the official is servicing 507 Textiles entrepreneurs /units.

b. Sustainability in manufacturing and Circular Economy: A group is created in TxC office, which is continuously engage with the textile industry to find out ways and means by which the consumption of natural resources can be reduced, environment may be less polluted and there may be minimal waste generation so that there may not be any requirements of landfills. In this regard, the waterless dyeing technology and Washing range of Dyed and Printed fabrics have been identified. With the use of these technology there will be minimal requirements of water to dye or print the textile items which in-turn generate very less harmful effluents. Thus sustainable ecology system can be generated. Similarly, production of textiles items using textiles waste is also being promoted.

c. Collection of Statistical data: For policy formation and taking effective initiatives, it is imperative that there should be primary data related to production and consumption, technology gap and other related data in connection with manpower engaged in the sector. Therefore, the Textile Commissioner has been appointed as the ***Statistical officer*** of the Textile sector. To facilitate for collection of data of raw materials consumption, production and sales thereof, online platform viz. Textiles Statistical Return System (TSRS) has been introduced through which TxC office provides required inputs to Central and State Governments.

d. Support to Sunrise Sector of Technical Textiles: This office also deals with data and issues relating to other fibres including MMF and Technical Textiles is also collected / collated and reported to all relevant forums including definitions of HSN codes to facilitate production and export of HSN codes for Technical Textiles. In addition all the Quality standard references by BIS are also handled.

e. Technical advisor to Ministry of Textiles, Govt. of India: Overall office of TxC is the field face / stakeholder interface of the Ministry – interacting on one side with sector to factor the requirements in Policy/ programmes and other side the implementing agency for the programmes. TxC office is providing field support to the ministry for formulation of new initiatives as well as information related to better managements of the other schemes being implemented by the ministry such as SITP, IPDS etc. As regards Export promotion efforts, TxC office interfaces with the Export Promotion Councils and Textile Research interface is with the TRAs and other bodies.

f. Facilitator to create new Capacities at the time of Pandemic: During covid pandemic, looking to the scarcity of PPE kits and Mask which was essential for doctors, nurses, emergency services officers, the officers of TxC office puts their all out efforts after ploughing in field resources for creation and establishment of PPE/ Mask manufacturing capacities in the period of March-July, 2020 to raise ourselves as the second largest PPE/ Masks Manufacturer in the world.

g. Promoting manufacturing of machines currently being imported: At present about 70% textiles machines, which are being installed, are being imported by the Indian

Textile Industry due to which not only the capital cost for modernization is more but due to high import, there is high volume of out go of valuable foreign exchange. To reduce the dependency on foreign machines and promoting manufacturing of machines of internation benchmarked technology, TxC office has identified the technology gaps and in association with Ministry of Heavy Industry, facilitating Indian machines manufactures to start manufacturing of machines of benchmarked technology.

B. **Roles related to Emerging Technology:**

a. Identification of Internationally Benchmarked Technology: TxC office continuously search for emerging technologies in manufacturing of Textiles and Apparels. So far more than 1000 internationally renowned machines manufactures have been identified and listed. The details of such manufactures and types of machines being manufactured by them are displayed on official website of office for reference to the public. Besides above, emerging technologies for saving the natural resources, cost of manufacturing etc are also being identified and disseminated amount the stake holders in various clusters.

b. Identification of Gaps in technology level in different processes of manufacturing: TxC office is continuously interact with textile machines manufacturers, Textiles Research Associations and textile industry association to identify the technology gap and how said gaps can be fulfilled by research and innovations in processes.

C. **Roles related to Citizen Centricity:**

a. Promotional Schemes: As on date, the Office of the Textile Commissioner is undertaking most importantly supporting the technology upgradation vertical as the most critical support for Textile sector. TxC supports technology upgradation of all the segments of entire value chain of textiles and apparel manufacturing i.e. from fibres to apparel. This covers the various fibres also including Jute, silk and wool machinery too. In this process, TxC office has ensured modernization of segments up to yarn manufacturing stage having technology at par with the international level. ***The capacities of modernization of remaining segments from weaving segment onwards are being taken care-of under Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS), which has MSME focus upto garment to help support the employment generation too. Similarly for modernization of decentralized powerloom and knitting segments, Powertex India Scheme is also implemented through which sustainability of powerloom is supported.*** For having better transparency in implantation of these two schemes, web-based online platforms viz. iATUFS and iPowertex were launched so that on the basis of FIFO principal, benefits of the schemes may be ensured. Further to strengthen Textile Technology, constant technical interface with Machinery Associations/ Technical Textile Association is attempted.

b. Cotton Segment: At present, TxC is also responsible for assessment of Cotton availability and prepares Cotton balance Sheet through "Committee of Cotton Production and Consumption" in consultation with Department of Agriculture, Cotton Producing states, Cotton Corporation, Stakeholders in the sector (erstwhile Cotton Advisory Board).

c. Facilitation to Powerloom Sector and its workers: There are three "T" which identifies the Powerloom Service Cenres (PSCs) and that is : "Testing", "Training" and "Troubleshooting". Services being offered by PSCs are listed below;

i. **"Testing"** : Laboratory Testing of all types of Textile items i.e. Yarn, Fabric, chemical used at various stages of textile production.
ii. **"Training"**: Skill development by way to providing training to workers of decentralized Powerloom Industry to help them acquire the requisite knowledge in weaving to improve their efficienty.
iii. **"Troubleshooting"**: Providing consultancy and troubleshooting by way of sharing latest knowledge and techniques to powerloom and other segments of textile value chain. the re In order to improve entire value chain.
iv. Organization of Seminars/Workshops/One to One Meeting with stakeholders of Textile Industry.
v. Mobilizing the textile units to provide statistical data by way of one to one meeting/workshops/seminars.
vi. Assistance and field support to Regional Office for undertaking periodical surveys, census or studies on the textile industry from time to time.
vii. Providing feedback to Regional Offices on various issues raised or problems faced by the industry and seeking solutions thereto.

d. Field Support to Ministry: This office is providing physical verification reports on quarterly basis in respect of 32 on-going projects under Scheme for Integrated Textile Parks, 09 on-going projects under Integrated Processing Development Scheme, 01 projects under NERTPS and 2 ongoing projects under Mega Powerloom Cluster scheme.

e. Facilitation to Handloom Weavers through Hank Yarn Obligation Scheme: This office is facilitating socio-economic backward handloom weavers for uninterrupted supply of required quantity of hank yarns through Hank yarn Obligation Scheme.

f. Support to MSME Segment: Here, it will not be out of place to mention similarly placed structure of the Office of the Development Commissioner, which is an attached office to Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Govt. of India, which is headed by the Special Secretary & Development Commissioner (SS&DC), MSME. This organisation operates through a network of MSME-Development Institutes (DI), Regional Testing Centres, Footwear Training Institutes, Production Centres, Field Testing Stations and Specialized Institutes. It renders services such as:

- Advising the Government in Policy formulation for the promotion and development of MSMEs.
- Providing techno-economic and managerial consultancy, common facilities and extension services to MSME units.
- Providing facilities for technology upgradation, modernization, quality improvement and infrastructure.
- Developing Human Resources through training and skill upgradation. Providing economic information services

4. Organizational Setup :

Led by the Textile Commissioner, the office is functioning with its Headquarters at Mumbai. To facilitate all points in the Textile industry Value chain, it has many wings such as Technical Cells, Technical Textiles, R&D, ATUFS for implementing Technology Upgradation Schemes as support to Industry , Powerloom Development

Cell, Ready Made garments & Export, Economic and Statistical Cell/EMRIU, Consumer Service, Cotton/raw materials.

Textile Commissioner Office has 9 regional offices and 15 PSCs spread over India for implementing the support mandate. The spread of branches enables stakeholder interface through 9 Regional Offices (R.Os) at (i)Noida, (ii)Amritsar, (iii)Navi Mumbai, (iv)Ahmedabad, (v)Indore, (vi)Coimbatore, (vii)Bangalore, (viii)Guntur, (ix)Kolkata, 1 sub-office of R.O. Noida at Kanpur and 15 Powerloom Service Centres(PSCs) at (i)Mau (U.P.), (ii)Amritsar (Punjab), (iii)Kishangarh (Raj.), (iv)Malegaon (MH), (v)Nagpur (MH), (vi)Surat (Guj.), (vii)Umargaon (Guj.), (viii)Burhanpur (M.P.), (ix)Erode (TN), (x) Kannur (Kerala), (xi)Nagari (A.P.), (xii)Hyderabad (Telangana), (xiii) Ranaghat (W.B.), (xiv)Cuttack (Odisha), (xv)Bhagalpur (Bihar).

5. Manpower Position in Office of Textile Commissioner:

The sanctioned and working strength of the organisation is given below:

Level	Sanctioned Strength	Working Strength	Vacancy
Group A	65	32	33
Group B (Gazetted)	37	27	10
Group B (Non Gazetted)	204	150	54
Group C	325	196	129
Total	**631**	**405**	**226**

In-spite of the shortage of manpower, TxC office is extending all required support services to the textile industry besides providing field support to the Ministry of Textiles giving results on all the activities in time. Further this office has taken efforts for smooth functioning and better results in real time basis.

As stated above it can be concluded that **TxC office is only department under the umbrella of the Ministry of Textiles which is serving to entire value chain of Indian textile industry except for Jute, Silk and handloom. Thus, the industry segments, which are contributing more than 90% of fabrics production, are being served by TxC office.**

Sr. No.	Name of Regional Office	Name of Cluster	No. of Units in Cluster									
			G & P	Spinning	Weaving Preparatory	Weaving/Powerloom	Knitting	Processing	Garments/ Madeups	Embroidery	Technical Textiles	Total
1	Amr. Ot sar	Amritsar		2		556	60	40	475	218		1351
		Ludhiana		67		506	468	222	4670	326	10	6269
		Samana Bhatinda, Mansa, Abohar & Fazilka	210	38								248
		Baddi , Nalagarh & Kala Amb		21		3	2	2	8		18	54
		Srinagar				98						98
											TOTAL >	8020

2	R.O. Guntur	Nagari	0	0	307	3438	0	58	0	0	0	**3803**
		Hindupur	0	0	0	1187	1	45	0	0	0	**1233**
		Andhra	238	133	0	0	0	0	21	0	4	**158**
	TOTAL											**5194**
3	R.O. Ahmedabad	Surat	0	25	150	37000	500	350	50	25000	80	**63155**
		Vapi, Silvasa, I	0	20	0	50	10	10	10	0	20	**120**
		Umargam	0	0	0	40	0	0	50	0	2	**92**
		Ahmedabad	50	35	0	400	30	100	2000	800	25	**3390**
		Dholka	10	10	0	200	20	1	0	0	5	
		North Gujrat and Saurastra Region	800	80	0	30	10	100	30	20	70	**1140**
											TOTAL >	67897

Sr. No.	Name of Regional Office	Name of Cluster	No. of Units in Cluster									
			G & P	Spinning	Weaving Preparatory	Weaving/Powerloom	Knitting	Processing	Garments/ Madeups	Embroidery	Technical Textiles	Total
9	R. O. Coimbatore	Tiruppur	9	279	62	13000	950	635	3500	250	13	18698
		Erode	0	139	170	16000	0	500	80	0	3	16892
		Karur	0	15	15	3500	0	50	350	50	6	3986
		Tiruchengode /Pallipalayam	0	87	76	28500	0	292	10	1	0	28966
		Rajapalayam	0	158	44	3000	0	45	60	5	2	3314
		Salem	0	63	28	6500	0	250	40	20	0	6901
		Coimbatore	8	579	270	15625	0	0	0	0	2	16484
		Chennai	0	1	10	9600	0	0	0	0	0	9611
		Dindigul	0	122	0	0	0	0	0	0	0	122
		Kannur	0	2	0	200	0	110	0	0	0	312
											TOTAL >	105286

Total Number of Textile Units across Major Textiles clusters in India	319869

Sr. No.	Name of Regional Office	Name of Cluster	No. of Units in Cluster									
			G & P	Spinning	Weaving Preparatory	Weaving/Powerloom	Knitting	Processing	Garments/ Madeups	Embroidery	Technical Textiles	Total
8	R.O.Kolkata	Dhenkanal, Odisha	0	0	0	133	0	0	0	0	0	133
		Ganjam, Odisha	0	0	0	211	0	0	0	0	0	211
		Khurda, Odisha	0	0	0	305	0	0	0	0	0	305
		Other than Sr.No. 1 of 3	17	4	0	0	0	0	0	0	0	21
		Bhagalpur, Bihar	0	0	30	5000	0	10	0	2	0	5042
		Banka, Bihar	0	0	4	360	0	0	0	0	0	364
		Gaya, Bihar	0	0	20	4000	0	4	0	0	0	4024
			0	0	0		0	0	0	0	0	0
		Ranaghat, WB	0	0	0	2175	0	4	0	0	0	2179
		Nabadwip, WB	0	0	0	1225	0	1	0	0	0	1226
		Other than Sr.No. 7 AND 8	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
		Jharkhand	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
											TOTAL >	13526

Sr. No.	Name of Regional Office	Name of Cluster	No. of Units in Cluster									Total
			G & P	Spinning	Weaving Preparatory	Weaving/Powerloom	Knitting	Processing	Garments/ Madeups	Embroidery	Technical Textiles	
4	R.O. Noida	Panipat				1600						0
		Bhilwara		43		380						423
		Mau				21000						21000
		Meerut				3000						3000
		Bijnore				4000						4000
		Tanda				5000						5000
		Noida (Gautam Budh Nagar)							2700			2700
		Gurgaon							400			400
		Pali, Bhilwara, Jaipur, Jodhpur and Barmer, Balotra						1700				1700
		Shri Ganganagar and Hanumargarh	25									25
		Jaipur							700			700
		Hisar, Sirsa, Bhiwani	132									132
		Panipat & Hisar		115 (Spinning and composite)								115
											TOTAL >	39195

Sr. No.	Name of Regional Office	Name of Cluster	No. of Units in Cluster									
			G & P	Spinning	Weaving Preparato	Weaving/Powerloom	Knitting	Processing	Garments/ Madeups	Embroidery	Technical Textiles	Total
5	R.O. Bangalore	**Karnataka**										
		Bangalore	0	1	1100	4000	150	21	1500	350	25	7147
		Dodballapur	0		1200	4500	0	2	30	10	4	5746
		Belgaum	40	2	2000	5500	8	12	25	40	5	7632
		Telangana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sircilla	10	1	2000	7400	0	140	5	0	0	9556
		Hyderabad. Bhongir	0	9	20	600	5	4	50	5	8	701
											TOTAL	**30782**
6	R.O.Navi Mumbai	Bhiwandi	0	1	99	25107	150	160	60	20	1	25168
		Ichalkaranji	0	18	160	8500	40	20	20	0	0	8500
		Solapur	13	14	12	14000	2	24	600	18	7	7
		Madhavanagar	0	11	12	820	0	3	7	0	1	24
		Malegaon	2	1	200	10000	0	4	0	0	0	10205
		Nagpur	5	9	5	3500	30	8	125	150	0	0
											TOTAL	**43904**
7	R.O. Indore	Burhanpur	5	5	20	3750	0	10	25	20	0	3835
		Indore	0	3	0	60	0	2	960	54	10	1089
		Rest of MP	272	36	10	225	15	150	180	30	20	938
		Chhattisgarh	0	1	4	130	2	30	26	5	5	203
											TOTAL	6065

वस्त्र आयुक्त कार्यालय की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

1. परिचय:

वस्त्र आयुक्त कार्यालय की स्थापना 1943 में कपड़ा सामग्री की मांग और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य रक्षा बलों और आम नागरिकों को कपड़े की आपूर्ति की व्यवस्था करना और उस पर निगरानी रखना था। बाद में, 1944 में, 'कॉटन टेक्सटाइल्स फंड अध्यादेश' के प्रबंधन का कार्य भी इसे सौंपा गया। इस अध्यादेश का उद्देश्य सूती कपड़े और धागों के निर्यात की देखरेख करना, तथा सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान का विकास सुनिश्चित करना था। स्वतंत्रता के बाद, 'कॉटन टेक्सटाइल्स (नियंत्रण) आदेश, 1948' के माध्यम से, वस्त्र आयुक्त कार्यालय को सूती धागों/कपड़ों की मांग/आपूर्ति और उनके निर्माण की क्षमता पर निगरानी रखने की भूमिका सौंपी गई। इस प्रकार, वर्तमान में कार्यरत विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र समिति और सभी निर्यात संवर्धन परिषदें, शुरुआत में वस्त्र आयुक्त कार्यालय के ही विभिन्न अंग थे। बाद में, (1) ' वस्त्र (पावरलूम द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश, 1956', (2) 'आर्ट सिल्क वस्त्र (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण आदेश, 1962', और (3) ' वस्त्र (बुनाई, कढ़ाई, लेस बनाने और छपाई मशीनों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश, 1963' लागू किए गए, जिनके माध्यम से वस्त्र आयुक्त विभिन्न विनियामक गतिविधियों का संचालन करते थे। मार्च 1985 तक, वस्त्र आयुक्त कार्यालय वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता था।

1985 की वस्त्र नीति के अनुरूप, ऊपर बताए गए नियंत्रण आदेशों को 1986 में रद्द कर दिया गया और एक नया आदेश, यानी 'कपड़ा नियंत्रण आदेश, 1986' अधिसूचित किया गया। इसके अलावा, 'कपास नियंत्रण आदेश, 1986' भी अधिसूचित किया गया, जिसका उद्देश्य जमाखोरी और कालाबाज़ारी के कारण पैदा होने वाली कपास की कृत्रिम कमी को रोकना था। ऊपर बताए गए सभी नियंत्रण आदेश, 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955' की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किए गए थे। वस्त्र आयुक्त कार्यालय को 'IDRA अधिनियम, 1951' के तहत भी यह अधिकार दिया गया था कि वह कपड़ा निर्माण की क्षमता की निगरानी करे और नई क्षमता स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी करे।

2. नियामक भूमिका से सुविधा/विकास भूमिका की ओर पहल:

एक-सदस्यीय समिति ने, श्री के.के. शाह की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति और संसद की अनुमान समिति (1982-85) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, एक नया जनादेश तैयार किया। इस जनादेश का मुख्य उद्देश्य यह था कि वस्त्र आयुक्त को नियामक कार्यों के बजाय विकासात्मक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

उपर्युक्त सिफारिशों के अनुपालन में और विकेंद्रीकृत पावरलूम क्षेत्र की क्षमता निर्माण के उद्देश्य से, वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने 1982 में सूरत में एक 'पावरलूम सेवा केंद्र' खोला। इसके बाद, प्रमुख पावरलूम समूहों (clusters) में कुछ और सेवा केंद्र भी स्थापित किए गए। इन सेवा केंद्रों द्वारा प्रायोगिक आधार पर हासिल की गई सफलताओं और 1985 की 'राष्ट्रीय वस्त्र नीति' में परिकल्पित कार्य योजना के अनुरूप, शेष पावरलूम समूहों में भी कई नए पावरलूम सेवा केंद्र खोले गए। इन केंद्रों के माध्यम से, विकेंद्रीकृत पावरलूम क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े पावरलूम श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। इस सहायता में कौशल विकास, तकनीकी परामर्श, तथा नए वस्त्र उत्पादों के उत्पादन हेतु उनकी मशीनों की ट्यूनिंग (अनुकूलन) शामिल है। इसके अतिरिक्त, इन केंद्रों द्वारा संबंधित समूहों में स्थित वस्त्र उद्योग के बीच केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों एवं योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है, और इन योजनाओं का लाभ उठाने हेतु उन्हें प्रत्यक्ष सहयोग (handholding support) भी प्रदान किया जाता है।

1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और विनियमन-मुक्ति की शुरुआत के बाद, क्षमता के पंजीकरण और उसके लिए लाइसेंस जारी करने का विनियामक कार्य संबंधित कार्यालयों से चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया। इसे देखते हुए, वस्त्र उद्योग और व्यापार को उदार बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। 'वस्त्र नियंत्रण आदेश, 1986' को निरस्त कर दिया गया और 'वस्त्र (विकास और विनियमन) आदेश, 1993' जारी किया गया।

1991 के बाद से देश में व्यापार और औद्योगिक माहौल में गुणात्मक बदलाव आया था। बदले हुए संदर्भ में, वस्त्र मंत्रालय ने 'वस्त्र आयुक्त कार्यालय' की कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया, ताकि यह उदारीकरण और नियंत्रण-मुक्ति से उत्पन्न होने वाली भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सके। इसलिए, वस्त्र मंत्रालय ने वर्ष 1995 में वस्त्र आयुक्त कार्यालय के पुनर्गठन पर एक अध्ययन करने का कार्य श्री के. एन. अर्धनारीश्वरन, पूर्व सचिव (वस्त्र) को सौंपा। इस नए जनादेश के तहत, वस्त्र आयुक्त कार्यालय से यह अपेक्षा की गई कि वह कपास विकास, निर्यात संवर्धन और भारतीय वस्त्र उद्योग—विशेष रूप से विकेंद्रीकृत पावरलूम क्षेत्र—के संतुलित विकास और संवृद्धि में अधिक सक्रिय भूमिका निभाए। तदनुसार, वस्त्र आयुक्त कार्यालय भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' बन गया है, ताकि वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला—विशेष रूप से विकेंद्रीकृत पावरलूम क्षेत्र—का विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस कार्यालय ने एक 'आर्थिक अनुसंधान और बाज़ार आसूचना इकाई' भी स्थापित की है, ताकि भविष्य में उद्योग के विकास के लिए योजना-पत्र और संबंधित योजनाएँ तैयार करने में सरकार को सहायता प्रदान की जा सके।

3. वस्त्र आयुक्त कार्यालय की वर्तमान भूमिका:

क . राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से संबंधित भूमिकाएँ:

हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'मेक इन इंडिया', डिफेक्ट और ज़ीरो इफ़ेक्ट' पर ज़ोर दिया है, और साथ ही सर्कुलर इकॉनमी के साथ सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी। इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट, प्रक्रियाओं में इनोवेशन, और आयात के विकल्प तैयार करना शामिल है। इस संबंध में उचित माहौल बनाने के लिए, और साथ ही कपड़ा उद्योग के संतुलित विकास और प्रगति के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी फैलाने और ज़रूरी मदद (हैंड-होल्डिंग सपोर्ट) देने के लिए, इस कार्यालय की भूमिकाएँ इस प्रकार हैं:

क फाइबर से लेकर कपड़े तक, कपड़ा क्लस्टरों तक पहुँच बनाना: देश के हर कपड़ा क्लस्टर में एक 'क्लस्टर समन्वय समिति' बनाई गई है। इसमें स्थानीय वस्त्र उद्योग के सभी हिस्सों के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के 'ज़िला उद्योग केंद्र' के प्रतिनिधि, बैंक और कपड़ा व परिधान से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वस्त्र आयुक्त कार्यालय उन कपड़ा क्लस्टरों के माध्यम से काम करता है जिनमें उद्योग के ऐसे हिस्से शामिल हैं जिन्हें मुख्य रूप से 'विकेंद्रीकृत क्षेत्र' के रूप में वर्गीकृत किया गया है—जैसे कि जिनिंग और प्रेसिंग, पावरलूम, निटिंग, स्वतंत्र प्रोसेसिंग, कढ़ाई और गारमेंटिंग क्षेत्र। आकार में छोटे होने और भारत सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रतिक्रिया देने की उनकी क्षमता को देखते हुए, यह कार्यालय एक बहुत ज़रूरी माध्यम प्रदान करता है। इसके ज़रिए, विभिन्न सहायता कार्यक्रमों, योजनाओं में बदलाव आदि में इन क्षेत्रों की विशेष ज़रूरतों को शामिल किया जाता है। अपने क्षेत्रीय ढाँचों के माध्यम से, यह कार्यालय पूरे कपड़ा उद्योग के विकास और प्रगति के लिए क्लस्टरों में मौजूद सभी हितधारकों के साथ लगातार बातचीत करता रहता है। असल में, वस्त्र आयुक्त कार्यालय का मुख्य काम कपड़ा क्लस्टरों में स्थित छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए एक 'सुविधादाता' के रूप में काम करना है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है:

अनु क्र	समूह का नाम	समूह में इकाइयों की संख्या									
		जी एण्ड पी	कताई	बुनाई प्रारम्भिक	बुनाई/ विद्युत करघा	निटिंग	प्रोसेसिंग	गारमेंट /मेड अप्स	कढ़ाई	तकनीकी वस्त्र	कुल
			परिशिष्ट -I संलग्न								

साथ में दिए गए परिशिष्ट -I से यह देखा जा सकता है कि यह कार्यालय मुख्य टेक्सटाइल क्लस्टर्स में स्थित 3,19,869 टेक्सटाइल यूनिट्स तक पहुँच बना रहा है, इसके अलावा लगभग 30% और टेक्सटाइल यूनिट्स भी हैं जो ऊपर बताए गए मुख्य क्लस्टर्स के बाहर आती हैं। फिलहाल, इस कार्यालय की स्वीकृत संख्या 631 है, इस तरह औसतन हर अधिकारी 507 टेक्सटाइल उद्यमियों/यूनिट्स को सेवाएँ दे रहा है।

बी . विनिर्माण और चक्रीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता: कपड़ा कार्यालय में एक समूह बनाया गया है, जो कपड़ा उद्योग के साथ लगातार जुड़ा रहता है ताकि ऐसे तरीके और साधन खोजे जा सकें जिनसे प्राकृतिक संसाधनों की खपत कम हो, पर्यावरण कम प्रदूषित हो और कचरा कम से कम पैदा हो, ताकि लैंडफिल की कोई आवश्यकता न रहे। इस संबंध में, जल-रहित रंगाई तकनीक और रंगे तथा मुद्रित कपड़ों की धुलाई की श्रृंखला की पहचान की गई है। इन तकनीकों के उपयोग से, कपड़ा वस्तुओं को रंगने या छापने के लिए पानी की बहुत कम आवश्यकता होगी, जिससे बदले में बहुत कम हानिकारक अपशिष्ट जल (effluents) पैदा होगा। इस प्रकार एक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र बनाया जा सकता है। इसी तरह, कपड़े के कचरे का उपयोग करके कपड़ा वस्तुओं के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

सी. सांख्यिकीय डेटा का संग्रह: नीति निर्माण और प्रभावी पहल करने के लिए, यह अनिवार्य है कि उत्पादन और खपत, तकनीकी अंतर और इस क्षेत्र में लगे मानव संसाधन से संबंधित अन्य डेटा के बारे में प्राथमिक डेटा उपलब्ध हो। इसलिए, कपड़ा आयुक्त को कपड़ा क्षेत्र के सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि कच्चे माल की खपत, उत्पादन और बिक्री के डेटा संग्रह को सुगम बनाया जा सके। इसके लिए एक ऑनलाइन मंच, यानी 'टेक्सटाइल्स स्टैटिस्टिक रिटर्न सिस्टम' (TSRS) शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से वस्त्र आयुक्त कार्यालय केंद्र और राज्य सरकारों को आवश्यक जानकारी प्रदान करता है।

डी . तकनीकी वस्त्रों के 'सनराइज सेक्टर' (उभरते क्षेत्र) को सहायता: यह कार्यालय MMF (मानव निर्मित फाइबर) सहित अन्य फाइबर से संबंधित डेटा और मुद्दों को भी देखता है; तकनीकी वस्त्रों से संबंधित डेटा भी एकत्र, संकलित और सभी संबंधित मंचों को रिपोर्ट किया जाता है। इसमें HSN कोड की परिभाषाएँ भी शामिल हैं, जो तकनीकी वस्त्रों के लिए HSN कोड के उत्पादन और निर्यात को सुगम बनाती हैं। इसके अतिरिक्त, BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के संदर्भों का प्रबंधन भी किया जाता है।

ई . वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के तकनीकी सलाहकार: कुल मिलाकर, वस्त्र आयुक्त कार्यालय मंत्रालय का एक 'फील्ड फेस' (जमीनी चेहरा) और हितधारक इंटरफ़ेस है। यह एक ओर उद्योग जगत के साथ बातचीत करता है ताकि नीतिगत कार्यक्रमों में उनकी आवश्यकताओं को शामिल किया जा सके, और दूसरी ओर, यह उन कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कपड़ा आयुक्त कार्यालय मंत्रालय को नई पहलों के निर्माण में जमीनी सहायता प्रदान करता है, साथ ही मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही अन्य योजनाओं (जैसे एसआईटीपी, आईपीडीएस आदि) के बेहतर प्रबंधन से संबंधित जानकारी भी देता है, विशेष रूप से निर्यात

संवर्धन प्रयासों के संबंध में। वस्त्र आयुक्त कार्यालय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के साथ समन्वय करता है, और टेक्सटाइल रिसर्च से जुड़ा काम टीआरए और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर किया जाता है।

महामारी के समय नई क्षमताएं विकसित करने में मददगार: कोविड महामारी के दौरान, पीपीई किट और मास्क की भारी कमी को देखते हुए—जो डॉक्टरों, नर्सों और आपातकालीन सेवाओं के अधिकारियों के लिए बेहद ज़रूरी थे— वस्त्र आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों ने मार्च-जुलाई 2020 की अवधि में पीपीई निर्माण की क्षमताएं विकसित करने और उन्हें स्थापित करने के लिए अपने सभी उपलब्ध संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए पूरी जी-जान लगा दी। इसी प्रयास के चलते, हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पीपीई और मास्क निर्माता के रूप में उभरकर सामने आए।

.

जी . अभी आयात की जा रही मशीनों के निर्माण को बढ़ावा देना: वर्तमान में, स्थापित की जा रही लगभग 70% कपड़ा मशीनें भारतीय कपड़ा उद्योग द्वारा आयात की जाती हैं। इसके कारण न केवल आधुनिकीकरण की पूंजीगत लागत बढ़ जाती है, बल्कि भारी आयात के चलते बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का भी बड़ी मात्रा में बहिर्गमन होता है। विदेशी मशीनों पर निर्भरता कम करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली तकनीक पर आधारित मशीनों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने तकनीकी कमियों की पहचान की है। इसके साथ ही, भारी उद्योग मंत्रालय के सहयोग से, यह कार्यालय भारतीय मशीन निर्माताओं को मानक-आधारित तकनीक वाली मशीनों का निर्माण शुरू करने में सहायता प्रदान कर रहा है।

8. उभरती टेक्नोलॉजी से जुड़े काम:

ए . अंतरराष्ट्रीय स्तर की टेक्नोलॉजी की पहचान: वस्त्र आयुक्त कार्यालय लगातार टेक्सटाइल और कपड़ों के निर्माण में उभरती टेक्नोलॉजी की खोज करता रहता है। अब तक 1000 से ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर मशीन बनाने वाली कंपनियों की पहचान करके उन्हें लिस्ट में शामिल किया गया है। इन कंपनियों और उनके द्वारा बनाई जा रही मशीनों के प्रकारों की जानकारी आम लोगों की जानकारी के लिए ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाई जाती है। ऊपर बताई गई बातों के अलावा, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने, निर्माण की लागत कम करने वगैरह के लिए उभरती टेक्नोलॉजी की भी पहचान की जा रही है और अलग-अलग क्लस्टर्स में जुड़े लोगों तक यह जानकारी पहुंचाई जा रही है।

बी . निर्माण के अलग-अलग चरणों में टेक्नोलॉजी के स्तर में कमियों की पहचान: वस्त्र आयुक्त कार्यालय लगातार टेक्सटाइल मशीन बनाने वाली कंपनियों, टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ बातचीत करता रहता है, ताकि टेक्नोलॉजी में मौजूद कमियों की पहचान की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि इन कमियों को रिसर्च और प्रक्रियाओं में नए प्रयोगों के ज़रिए कैसे दूर किया जा सकता है।

सी . नागरिक-केंद्रितता से जुड़े काम:

ए . प्रचार योजनाएं: आज की तारीख में, वस्त्र आयुक्त कार्यालय सबसे ज़रूरी काम के तौर पर टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने वाले हिस्से (को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए यह सबसे अहम सपोर्ट है। वस्त्र आयुक्त वस्त्र और कपड़ों के निर्माण की पूरी वैल्यू चेन के सभी हिस्सों में टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में मदद करता है - रेशों से लेकर कपड़ों तक। इसमें अलग-अलग

तरह के रेशे शामिल हैं, जिनमें जूट, रेशम और ऊन की मशीनरी भी शामिल है। इस प्रक्रिया में, वस्त्र आयुक्त कार्यालय ने धागा बनाने के चरण तक के हिस्सों का आधुनिकीकरण सुनिश्चित किया है, ताकि वहां की टेक्नोलॉजी अंतरराष्ट्रीय स्तर के बराबर हो। बुनाई के चरण से आगे के बाकी हिस्सों के आधुनिकीकरण की ज़िम्मेदारी 'संशोधित टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजना' (ATUFS) के तहत संभाली जा रही है। इस योजना में एमएसएमई पर खास ध्यान दिया गया है और यह कपड़ों के निर्माण तक के चरण को कवर करती है, ताकि रोज़गार पैदा करने में भी मदद मिल सके। इसी तरह, विकेंद्रीकृत पावरलूम और बुनाई (निटिंग) वाले हिस्सों के आधुनिकीकरण के लिए 'पावरटेक्स इंडिया योजना' भी लागू की गई है, जिसके ज़रिए पावरलूम की स्थिरता को सपोर्ट मिलता है। इन दोनों योजनाओं को लागू करने में ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए, वेब-आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म – आई टफस और आई पावर टेक्स - लॉन्च किए गए हैं, ताकि 'पहले आओ, पहले पाओ' (फीफो) के सिद्धांत के आधार पर योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी को और मज़बूत बनाने के लिए, मशीनरी एसोसिएशनों/टेक्निकल टेक्सटाइल एसोसिएशन के साथ लगातार तकनीकी बातचीत करने की कोशिश की जाती है।

बी. कपास का क्षेत्र: इस समय, वस्त्र आयुक्त की कपास की उपलब्धता का आकलन करने और 'कपास उत्पादन और उपभोग समिति' के ज़रिए 'कपास बैलेंस शीट' तैयार करने के लिए भी ज़िम्मेदारी है। यह काम कृषि विभाग, कपास उत्पादक राज्यों, कपास निगम और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों (पहले का 'कपास सलाहकार बोर्ड') के साथ सलाह-मशवरा करके किया जाता है।

सी. पावरलूम क्षेत्र और उसके श्रमिकों को सुविधाएँ प्रदान करना। तीन "T" हैं जो पावरलूम सेवा केंद्र (PSC) की पहचान कराते हैं, और वे हैं: "Testing" (परीक्षण), "Training" (प्रशिक्षण), और "Troubleshooting" (समस्या-समाधान)। PSCs द्वारा प्रदान की जाने वाली ये सेवाएँ नीचे सूचीबद्ध हैं।

1 "परीक्षण - सभी प्रकार की वस्त्रों का प्रयोगशाला परीक्षण, जैसे: धागा, कपड़ा और कपड़ा उत्पादन के विभिन्न चरणों में उपयोग किए जाने वाले रसायन।

2 प्रशिक्षण - विकेंद्रीकृत पावरलूम उद्योग के श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करके कौशल विकास करना, ताकि वे बुनाई के क्षेत्र में आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपनी कार्यक्षमता में सुधार ला सकें।

3 "समस्या-समाधान" (Troubleshooting) - पावरलूम और कपड़ा मूल्य श्रृंखला के अन्य क्षेत्रों के साथ नवीनतम ज्ञान और तकनीकों को साझा करके परामर्श और समस्या-समाधान सेवाएं प्रदान करना, ताकि पूरी मूल्य श्रृंखला में सुधार किया जा सके।

4 वस्त्र उद्योग के हितधारकों के साथ सेमिनार, कार्यशालाएं और आमने-सामने बैठकों का आयोजन करना।

5. वस्त्र यूनिट्स को एक-के-बाद-एक बैठकें/कार्यशालाएं/सेमिनार के ज़रिए सांख्यिकीय डेटा देने के लिए प्रेरित करना।

6. वस्त्र उद्योग पर समय-समय पर होने वाले सर्वे या स्टडीज़ के लिए रीजनल ऑफिस को सहायता और फील्ड सपोर्ट देना।

7. इंडस्ट्री द्वारा उठाए गए अलग-अलग मुद्दों या सामने आई समस्याओं पर रीजनल ऑफिस को फीडबैक देना और उनके समाधान खोजना।

डी. मंत्रालय को क्षेत्रीय सहायता - यह कार्यालय 'एकीकृत वस्त्र पार्क योजना' के तहत चल रही 32 परियोजनाओं, 'एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना' के तहत चल रही 09 परियोजनाओं, 'एनईआरटीपीएस' के तहत 01 परियोजना और 'मेगा

पावरलूम क्लस्टर योजना' के तहत चल रही 2 परियोजनाओं के संबंध में, तिमाही आधार पर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रदान कर रहा है।

ई. हैंक यार्न दायित्व योजना के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को सुविधा प्रदान करना- यह कार्यालय हैंक यार्न दायित्व योजना के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक पिछड़े हथकरघा बुनकरों को हांक यार्न की आवश्यक मात्रा की निर्बाध आपूर्ति की सुविधा प्रदान कर रहा है

एफ. एमएसएमई खंड को सहायता - यहां विकास आयुक्त के कार्यालय की समान संरचना का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार का एक संलग्न कार्यालय है। यह संगठन एमएसएमई-विकास संस्थानों (डीआई) के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। क्षेत्रीय परीक्षण केंद्र, फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान, उत्पादन केंद्र, फील्ड परीक्षण स्टेशन और विशेष संस्थान। यह सेवाएं प्रदान करता है जैसे

1. एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए नीति निर्माण में सरकार को सलाह देना

2. एमएसएमई इकाइयों को तकनीकी-आर्थिक और प्रबंधकीय परामर्श, सामान्य सुविधाएं और विस्तार सेवाएं प्रदान करना

3. प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार और बुनियादी ढांचे के लिए सुविधाएं प्रदान करना

4. प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से मानव त्याग का विकास करना। आर्थिक सूचना सेवाएं प्रदान करना

4. संगठनात्मक ढाँचा

वस्त्र आयुक्त के नेतृत्व में, यह कार्यालय 'मंथन' में स्थित अपने मुख्यालय से काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य टेक्सटाइल उद्योग की वैल्यू चेन के सभी बिंदुओं को सुविधा प्रदान करना है। इसके कई विभाग हैं, जैसे टेक्निकल सेल्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, R&D, और ATUFS (उद्योग को सहायता देने वाली टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन योजनाओं को लागू करने के लिए), तथा पावरलूम विकास सेल, रेडीमेड गारमेंट्स और निर्यात, आर्थिक और सांख्यिकी सेल, ईएमआरआईयू, उपभोक्ता सेवा, कपास/कच्चा माल।

वस्त्र आयुक्त कार्यालय के 9 क्षेत्रीय कार्यालय और 15 पीएससी हैं जो समर्थन अधिदेश को लागू करने के लिए पूरे भारत में फैले हुए हैं। शाखाओं का विस्तार (i)नोएडा, (ii) अमृतसर में 9 क्षेत्रीय कार्यालयों (आर.ओ.) के माध्यम से हितधारक इंटरफ़ेस को सक्षम बनाता है। (iii) नवी मुंबई। (iv)अहमदाबाद, (V)इंदौर, (vi) कोयंबटूर, (vii) बैंगलोर, (viii) गुंटूर, (ix)कोलकाता। आर.ओ. का 1 उप-कार्यालय नोएडा, कानपुर और 15 पावरलूम सर्विस सेंटर (पीएससी) (1)मऊ (यूपी), (ii)अमृतसर (पंजाब), (iii) किशनगढ़ (राजस्थान), (iv)मालेगांव (एमएच)। (V)नागपुर (MH), (vi)सूरत (गुजरात)। (vii) उमरगांव (गुजरात)। (viii) बुरहानपुर (म.प्र.)। (ix) इरोड (तमिलनाडु)। (x) कन्नूर (केरल), (xi) नागरी (A.P.), (xii) हैदराबाद (तेलंगाना)। (xiii) राणाघाट (पश्चिम बंगाल), (xiv)कटक (ओडिशा), (xv)भागलपुर (बिहार)।

5. वस्त्र आयुक्त कार्यालय में मानव संसाधन की स्थिति:

संगठन की स्वीकृत और कार्यरत संख्या नीचे दी गई है:

स्तर	स्वीकृत शक्ति	कार्य शक्ति	रिक्ति
समूह ए	65	32	33
समूह बी (राजपत्रित)	37	27	10
समूह बी (अराजपत्रित)	204	150	54
समूह सी	325	196	129
कुल	631	405	226

कर्मचारियों की कमी के बावजूद, टीएक्ससी कार्यालय वस्त्र उद्योग को सभी आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ वस्त्र मंत्रालय को जमीनी स्तर पर सहयोग भी दे रहा है, जिससे सभी गतिविधियों में समय पर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा, इस कार्यालय ने सुचारू संचालन और वास्तविक समय में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि **वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एकमात्र विभाग वस्त्र आयुक्त कार्यालय है जो जूट, रेशम और हथकरघा को छोड़कर संपूर्ण भारतीय वस्त्र उद्योग को सेवाएं प्रदान करता है। इस प्रकार, कपड़ा उत्पादन में 90% से अधिक का योगदान देने वाले औद्योगिक क्षेत्रों को वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।**

000